संख्या- 03 /2024/।/547742/84-3-2024-84-3012/1/2022

प्रेषक,

अभिषेक गोयल,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम,

जवाहर भवन, लखनऊ।

उपभोक्ता मामले अनुभाग-3 लखनऊ :: दिनांक 24 अप्रैल,2024

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के राजस्व-लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय-05- राज्य सरकारी की ओर से आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस/विविध व्यय-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल राज्य कर्मचारी कल्याण निगम से सम्बन्धित वादों की पैरवी हेतु आबद्ध किये गये अधिवक्ताओं की फीस का भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्षक 2075- विविध सामान्य सेवायें-800- अन्य व्यय-05- राज्य सरकार की ओर से आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस/विविध व्यय-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान मद में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 50.00 लाख (रूपये पचास लाख मात्र) को वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी0-1-294-दस-2024-231/2024, दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(1) अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सरकार की ओर से आबद्ध अधिवक्ताओं की फीस/विविध व्यय हेतु भुगतान के संबंध में सुसंगत शासनादेशों/वित्तीय नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(3) अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं की जाएगी। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो वह समर्पित कर दी जाएगी।

(5) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

(6) आवद्ध अधिवक्ताओं/विविध व्यय से संबंधित बिलों के भुगतान की स्वीकृति हेतु विशेष सचिव, उपभोक्ता मामले अनुभाग-3, उ0 प्र0 शासन अधिकृत होंगे, और निवर्तन पर रखी धनराशि जारी स्वीकृत आदेश के क्रम में ही आहरित की जाएगी।

(7) अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2023 के प्रस्तर-2 एवं 3 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(8) अधिशासी निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही कार्ययोजना हेतु दोहरी वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने पाये।

(9) इस संबंध में होने वाला व्यय रू0 50,00,000.00 (रूपये पचास लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 लेखाशीर्षक 2075-विविध सामान्य सेवायें-800-अन्य व्यय -05-राज्य सरकार की ओर से आवद्ध अधिवक्ताओं की फीस/विविध व्यय-16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान के नामे डाला जाएगा।

(10) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभिषेक गोयल)
विशेष सचिव।

संख्या-03 /2024/।/547742/84-3-2024-84-3012/1/2024 -तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम, लखनऊ।
4. आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. वित्त नियत्रंक खाद्य एवं रसद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
8. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन लखनऊ।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 /खाद्य तथा रसद अनुभाग-3
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।